वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व सेक्टर - हरियाणा सरकार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2022 की रिपोर्ट संख्या 5 के मुख्य शब्द

प्राक्कथन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151

संक्षिप्त अवलोकन

करों, ब्याज, वस्तु एवं सेवा कर के रिफंडों, ट्रांजिशनल क्रेडिट, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण**,** उत्पाद शुल्क के आंतरिक नियंत्रण तथा स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

अध्याय-1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, राजस्व के बकायों का विश्लेषण, कर-निर्धारणों में बकाया, विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन, रिफंड मामले, आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आयोजना, लेखापरीक्षा के परिणाम, इस प्रतिवेदन की कवरेज

अध्याय-2

बिक्री के छिपाव के कारण कर का अपवंचन, अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेनल्टी का अनुद्ग्रहण, 'एफ' फॉर्मों और 'सी' फॉर्मों के विरुद्ध छूट की अनुमति के कारण अवनिर्धारण, इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ, कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण, कम सकल टर्नओवर के कारण कर का अवनिर्धारण, वस्तु एवं सेवा कर रिफंड पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, ट्रांज़िशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-3

लाइसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली, राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट, नगर निगमों/ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों द्वारा/के लिए उद्गृहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण/संग्रहण, अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण, अचल संपत्ति में गलत दरें लगाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण, प्राइम खसरा भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण, गैर-वास्तविक डिक्रियों को वास्तविक मानते हुए स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट